(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 742-तीन/2004 - विरूद्ध आदेश दिनांक 10-5-2004 - पारित द्वारा - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 212/1996-97 निगरानी

1- शिवबहोर पुत्र स्व. भीमसेन राम
2- लालजी 3- रामजी 4- लक्ष्मणजी
5- श्यामजी 6- गोपाल जी पुत्रगण शिवबहोर राम ब्राहमण
निवासी ग्राम पोडी तहसील कुशमी जिला सीधी ——आवेदकगण

विरूद्ध

1- तिलकराज सिंह गौड 2- धर्मराज सिंह पुत्रगण रणबहादुर सिंह
3- महिला फुलमतिया पत्नि रणबहादुर सिंह
4- गोरीदीन पुत्र सतानन्दराम ब्राहमण
5- सुरेन्द्रप्रसाद पुत्र रामपतिराम ब्राहमण
6- सच्चिदानन्दर पुत्र हीरामणि राम ब्राहमण
7- महिला इन्द्रवती पत्नि हीरामणिराम ब्राहमण
8- महिला रामकली पत्नि शिवदीन मिश्रा
9- पंकज कुमार 10- धीरजकुमार पुत्रगण शिवदीन मिश्रा
11- कुमारी पूनम पुत्री शिवदीन मिश्रा 12- म0प्र0शासन ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(आवेदक 12 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रींवा के प्रकरण कमांक 212/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-5-2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तिलकराज सिंह, धर्मराज सिंह, महिला कुलमतिया निवासी ग्राम भगवार ने अनुविभागीय अधिकारी मझौली जिला सीधी के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख) के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्राम पौड़ी की (अनुविभागीय अधिकारी मझौली के आदेश दिनांक 29-1-96 के पैरा-1 में अंकित अनुसार) भूमि कुल किता 13 कुल रकबा 6-938 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमिस्वामी रुदन, मेहीलाल पुत्रगण मेदनी गौड थे जिनके वह वारिस है। वर्ष 1962 में भीमसेन, शिवदीन, गौरीदीन ब्राहमण इस भूमि को अपने नाम करा लिया एंव उन्हें बेदखल कर दिया। पट्टा कराने के वाद इन्होंने भूमि अपने सम्बन्धी सुरेन्द्रप्रसाद, सच्चिदानन्द, मुन्नी, लालजीराम, इन्द्रवती के नाम करा दी है एंव छलकपट किया है जिसे निरस्त करते हुये भूमि वापिस दिलाई जावे। अनुविभागीय अधिकारी मझौली ने प्रकरण कमांक 5 अ-23/1994-95 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 29-1-1996 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि छल कपट पूर्वक अंतरित होने से वास्तविक भूमिस्वामियों के वारिसों के नाम दर्ज करने एंव कब्जा दिये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्व आवेदकगण ने कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला सीधी ने प्रकरण कमांक 7/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 26 मई 1997 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्व रामजी पिता शिवहोर ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 212/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-5-2004 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालयों

के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि रुदन, मेहीलाल मॉझी जाति है एंव माझी जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है अपितु मल्लाह या केवट के नाम से पुकारी जाने वाली जाति है जो तत्समय प्रचलित नियमों के सामान्य वर्ग के रहे है एंव वर्तमान में पिछड़ा वर्ग बन जाने से पिछड़ा वर्ग में है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने से परिलक्षित है कि वर्ष 1958-59 की खतौनी में वादग्रस्त भूमि रुदन, मेहीलाल पुत्रगण मेदनी गौड/मॉझी के नाम दर्ज थी जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29-1-96 के पद 4 (क) में इन्हें गौड/मॉझी पाकर अनुसूचित जनजाति का होना माना है। कलेक्टर जिला सीधी ने जब अनुविभागीय अधिकारी मझौली द्वारा की गई कार्यवाही की छानवीन की है उनके द्वारा छानवीन उपरांत आदेश दिनांक 26-5797 के पैरा 4 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिये है :-

" अपीलाधीन भूमियॉ पूर्व बंदोवस्ती खतौनी संबत 1991-92 व वार्षिक खतौनी वर्ष 1958-59 के अनुसार रुदन, मेहीलाल पिता भेदनी सिंह माझी के नाम अभिलिखित थी, खतौनी वर्ष 58-59 में की गई प्रविष्टि के अनुसार नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 1 व 2/1962 आदेश दिनांक 10-4-62 के द्वारा अपीलार्थीगण के नाम नामांत्रित होने की प्रविष्टि की गई है यह प्रविष्टि 2-10-59 के पश्चात् की है। अपीलार्थीगण द्वारा भूमि को सिकस्त खाते से प्राप्त होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है पटाईदार से भूमि प्राप्त किये जाने के पट्टा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है मूल पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया है, छायाप्रति प्रमाणित नहीं है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। अगर पवाईदार द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में पट्टा प्रदाय किया गया था तो तत्समय राजस्व अभिलेख में इन्द्राज क्यों नहीं कराया गया था ? पवाई उन्मूलन के पश्चात भू राजस्व संहिता 1959 के अस्तित्व में आने पर दिनांक 2-10-59 की स्थिति के अनुसार खतौनी तैयार की गई थी उस समय भी अपीलार्थीण को अपने स्वत्व की भूमियों को खतोनी तैयार करना चाहिये था जो नहीं तैयार किया गया है। संहिता की धारा 170(ख) के लिये दिनांक 2-10-59 को तैयार की गई खतौनी प्रमुख आधार है। प्रस्तुत अपील प्रकरण में वर्ष 1958-59 की खतौनी में अपीलाधीन भूमियां पूर्णरूपेण आदिवासी जाति के व्यक्ति रुदन, मेहीलाल पिता भेदनी सिंह माझी के नाम अभिलिखित है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन भूमियों को 2-10-59 के पूर्व से स्वत्व अर्जित होने का बतलाया जा रहा कारण व प्रस्तुत

प्रमाण आधारहीन होने से मान्य नहीं किया जा सकता है। दिनांक 10-4-62 को किया गया अभिलेखीय अंतरण कपटपूर्ण होने से शून्यवत् है। "

इस प्रकार विस्तृत विवेचना करते हुये कलेक्टर सीधी ने (Speaking order) बोलता हुआ आदेश दिनांक 26 मई 1997 पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29-1-96 को एंव कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 26-5-1997 को आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29-1-96 में निकाले गये निष्कर्ष, कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 26-5-1997 में निकाले गये निष्कर्ष तथा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 10-5-04 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजाइश नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 212/1996-97 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-5-2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अत्री)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर